(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 35/2018

बउनवान

रजिया खान आयु 38 वर्ष पत्नि रईस अहमद जाति मुसलमान निवासी छबड़ा जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1– जितेन्द्र पुत्र नटवरलाल जाति नामदेव

2– राहुल पुत्र नटवरलाल जाति नामदेव निवासीगण वार्ड नंबर 14 दर्जी मोहल्ला मेन चौराहा के पास छबडा गूगोर तह. छबडा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251

उपस्थित :– 1– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभि. **(अपीलांट)**

2– श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 17.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत उनके प्रकरण संख्या 01/2017 मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 के विरूद्व अपील इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रकरण दिनांक 09.02.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 26.07.2017 को पारित निर्णय सर्वथा गलत विधि तथा नियमों के विपरित तयिों से असंगत है, निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित खातेदारान को ना तो पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थी/रेस्पो0 को कोई आदेश दिया ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं की कोई रिकार्ड देखा है। खसरा नंबर 929 जो अपीलांट अप्रार्थी के नाम अंकित कर आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, कतई गलत एवं राजस्व रिकार्ड के विपरित होने से स्वतः ही निरस्तनीय है। खसरा नंबर 929 के खातेदारान अपीलांट सावित्री पत्नि श्री घनश्याम माली एवं पानाबाई पत्नि हीरालाल मीली है कि जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकार बनाये दिनांक 26.09.2017 को निर्णित कर त्रृटि की है। अतः निर्णय प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। आपसी सहमति से खसरा नंबर 929 पर कब्जा पानाबाई का है। अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली ये यह भी प्रमाणित नही है कि प्राथीगण/रेस्पो0 एवं

अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से किन किन गवाहों के शपथ पत्र पेश हुए है और ना ही उक्त शपथ पत्रों को शामिल पत्रावली ही किए जाने का अंकन है। रिपोर्ट पटवाली दिनांक 20.05. 2017 भी अस्पष्ट एवं अपठनीय है। पटवारी हल्का द्वारा भी खसरा नंबर 929 का खातेदार केवल अपीलांट/अप्रार्थी को ही किस आधार पर अंकन किया है जबकि उक्त भूमि के अन्य खातेदारान सावित्रीबाई एवं पानाबाई भी है, शामलाती भूमि रही है। अपीलांट अप्राथी के विरूद्ध रिपोर्ट पटवाली मिथ्या है इस रिपोर्ट पर आधारित निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 26.09.2017 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ही निर्णय कर कानूनी भूल की है। प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत का ही कानूनन होने के निर्णय अपास्तनीय है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2009 बालूराम वगै. बनाम रूगराम वगै. प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में प्रकरण संख्याः 01/2017 दिनांक 26.09.2017 मे पारित आदेश/निर्णय विधि अनुरूप पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर पूर्ण अवलोकन किया जाकर पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। चूंकि रेस्पोडेन्ट पूर्वजो के समय से ही उक्त कदमी प्राचीन पुरानी मेड के रास्ते से आते–जाते रहे है ओर कृषि यंत्र आदि भी उसी रास्ते से लाते ले जाते रहे है। वर्तमान मे अपीलांट ने परम्परागत रास्ते को खसरा नम्बर 875 व 876 भूमि मे जाने हेतु चौडी मेड को हांक कर अवरूद्व कर दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा रेस्पोडेन्ट को छबडा की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता नं0 427 के खसरा नम्बर 875, व 876 खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने हेतु चौडी मेड/पगडंडी रास्ता खुलासा किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 मे प्रकरण संख्या 01/2017 मे पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 एवं समस्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट रास्ते के अधिकार एवं निजी सहजता के प्रावधानो के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है। जिसके तहत यदि किसी भूमि धारक ने प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया है तो उस पर तहसीलदार द्वारा विवादित तथ्य की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, गड़बडी को हटाने व रोकने का आदेश दे सकता है। इस धारा के तहत पारित आदेश से किसी भी व्यक्ति को इस तरह के अधिकार या सुगमता स्थापित करने से रोक नही सकता है। प्रकरण में सहखाते धारी की भूमि में मौके पर खाबिज अपीलांट रजिया खान द्वारा रेस्पोडेन्टगण का रास्ता अवरूद्व किया गया। इसलिये सहखातेदारो को पार्टी न बनाकर मात्र अपीलांट रजिया खान को अधीनस्थ न्यायालय मे पार्टी बनाया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में नया रास्ता कायम न कर परम्परागत रास्ते को ही रेस्पोडेन्टगण को भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु सुलभ कराया गया है। उक्त अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय में हम किसी भी प्रकार विधि त्रुटि होना नही पाये जाने से उक्त निर्णय मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम सिविल अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण संख्या 01/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 26.9.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर बारां